अनुग्रह सहायता योजना

पात्रता- उक्त योजना में आवेदन प्राप्त होने पर श्रमिक के संस्थान से कार्यरत होने तथा पात्रता के सम्बन्ध में सत्यापन क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं प्रकरण में अनुग्रह राशि क्यों दी जानी है इसके कारणों सहित अनुशंसा के साथ प्रस्ताव मुख्यालय में भेजा जायेगा, जिसमें (मान. अध्यक्ष महोदय के विवेकाधीन कोटे से) चिकित्सा क्षतिपूर्ति सहायता, शारीरिक असमर्थता पर सहायता, बिटिया शिक्षा सहायता एवं अन्य ऐसे प्रकरण जिनमें किसी श्रमिक को सहायता अत्यंत आवश्यक है, उनमें मान. अध्यक्ष महोदय कल्याण आयुक्त के प्रस्ताव पर अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जाती है।

आवश्यक दस्तावेज (छायाप्रतियां)

- आवेदन पत्र
- दुर्घटना/बीमारी में श्रमिक की मृत्यू होने पर मृत्यू प्रमाण पत्र
- गंभीर बीमारी होने पर चिकित्सक का पर्चा, अस्पताल में कम से कम 24 घंटे भर्ती एवं डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र रिर्पोट एवं दवाईयों के देयक संलग्न करना अनिवार्य है।
- बैंक पास बुक, प्रथम पृष्ठ
- आवेदन का संस्थान/ स्थापना से प्रमाणीकरण
- नवीनतम फोटो
- आवेदक का आधार पत्र
- आवेदक द्वारा अन्य कहीं से सहायता राशि अथवा चिकित्सा प्रतिपूर्ति(हेल्थ इंश्योरेंस) प्राप्त किये जाने अथवा नहीं किये जाने का आवेदन में उल्लेख करना अनिवार्य है।

स्वीकृतकर्ता अधिकारी - कल्याण आयुक्त के प्रस्ताव पर मान. अध्यक्ष महोदय की अनुशंसा/ अनुमोदन से।

सहायता राशि- माननीय अध्यक्ष महोदय के कोटे से राशि रू.5000/- से 25,000/- तक स्वीकृत करने के प्रावधान है ।